समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री धीरेन्द्र नारायण झा, पिता-स्व0 अनन्त नारायण झा, सा0-बभनी, थाना-गम्हरिया, जिला- मधेपुरा को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 01/2002 (गम्हरिया थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या- 357372 धारित है। इनका पुत्र श्री विजय कुमार झा, पिता-स्व0 धीरेन्द्र नारायण झा, सा0-बभनी, थाना-गम्हरिया, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता-धीरेन्द्र नारायण झा की मृत्यु दिनांक 15.03.2015 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः विजय कुमार झा द्वारा समर्पित मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के आलोक में उनके पिता स्व0 धीरेन्द्र नारायण झा को प्राप्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 01/2002 (गम्हरिया थाना) को रद्द करते हुए उस पर धारित शस्त्र संख्या- 357372 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक (विजय कुमार झा) को मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए पावती रसीद की प्रति को इस कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एक दो नाली बन्दूक संख्या - 357372 को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

सं0/-

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 99 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 08-04-2015

प्रतिलिपि : श्री विजय कुमार झा, पिता-स्व0 धीरेन्द्र नारायण झा, सा0-बभनी, थाना-गम्हरिया, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या - 357372 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करते हुए जमा प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, गम्हरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।.

08/04/15

ज़िला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा